



Neutral Citation No. -2026:AHC:13407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1634 वर्ष 2026

सागर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राम आधार यादव, सतेंद्र कुमार

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची पुनरीक्षित की गई।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेंद्र कुमार, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरुण कुमार मिश्र को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक ने वाद अपराध संख्या 353 सन् 2019, धारा 302/34 आइ.पी.सी, थाना- ननौता, जनपद- सहारनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे प्रस्तुत वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग सात दिन के विलम्ब से दर्ज की गई है और उक्त विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रारम्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट आइ.पी.सी की धारा 147, 148, 302 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, किन्तु तत्पश्चात केवल आवेदक के विरुद्ध ही आइ.पी.सी की धारा 304ए, 427, 279 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो जमानती धाराएँ हैं; परंतु सूचनाकर्ता द्वारा दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र पर आवेदक को आइ.पी.सी की धारा 302/34 के अंतर्गत समनित कर लिया गया, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है।

6. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दुर्घटनाजन्य चोट के मामले को सूचनाकर्ता द्वारा हत्याजन्य मृत्यु के प्रकरण में परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 27.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. "दोषसिद्धि से पूर्व निर्दोषता की उपधारणा" का सुविख्यात सिद्धांत इस अवधारणा को जन्म देता है कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद।

9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए छीना नहीं जा सकता कि उस पर किसी अपराध के किए जाने का आरोप है, जब तक कि उसका अपराध संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता, और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं युक्तिसंगत होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है।

10. उपर्युक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट, 2024 आईएनएससी 595** में पुनः इस बात पर बल दिया है कि विधि का यह भली-भाँति स्थापित सिद्धांत है कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और कारावास अपवाद"।

11. विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी आवेदक को जमानत से वंचित किए जाने हेतु कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, जो जमानत अस्वीकार करने को उचित ठहराती हो।

12. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सात अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिन की देरी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रारम्भ में केवल आइ.पी.सी की धारा 304ए, 427, 279 के अंतर्गत ही अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया था, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथमदृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रथमदृष्टया मामला बना लिया है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

13. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक- सागर को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

14. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 20, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विकास वर्मा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।